बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक--पि0व0 / बजट--30--02 / 2015(खण्ड--II)-- 60

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
अररिया एवं जहानाबाद।

पटना, दिनांक-- 2/7/25

विषयः--वित्तीय वर्ष 2025--26 में विभागान्तर्गत संचालित नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अररिया एवं जहानाबाद के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद के लिए कुल राशि रू० 10,95,154/-- (रू० दस लाख पंचानवे हजार एक सौ चौवन) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025--26 में विभागान्तर्गत संचालित नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अररिया एवं जहानाबाद के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद के लिए कुल राशि रू० 10,95,154/-- (रू० दस लाख पंचानवे हजार एक सौ चौवन) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2--कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025--26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03-- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277--शिक्षा, उप शीर्ष 0010--पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.04 विद्युत प्रभार इकाई, विपत्र कोड संख्या--11-2225--03--277--0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4--आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय--समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक--292, दिनांक--11.02.2021 तथा विभाग द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संचालनार्थ मार्गदर्शिका में निहित निदेश/प्रावधान का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5--प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6--प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7--सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु0ः--यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--पि0व0 / बजट--30--02 / 2015(खण्ड--II)-- 60 पटना, दिनांक-- 2/7/25

प्रतिलिपि--(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

E/Rajesh Sir/Allotment obc sch 2021/Sanction & Allotment

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का विवरण

विपत्र कोड–11–2225032770010

(राशि रू० में)

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	1304 विद्युत प्रभार
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, रानीगंज, अररिया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अररिया	₹ 7,79,739
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, धरहरा, जहानाबाद	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद	₹ 3,15,415
3	कुल योग (1+2)		**₹ 10,95,154**

पत्रांक– 60, दिनांक–02/07/2025 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव

D:\Siyaram\allotment excel and budget fort\SURRENDAR 2021-22 CFMS